



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



12 वैशाख, 1946 (श०)

संख्या - 241 राँची, गुरुवार,

2 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

संकल्प

22 फरवरी, 2024

संख्या--5/आरोप-1-4/2016 कां०- 1337--श्री विकास तिर्की, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-54/20, प्रथम बैच) तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, चितरपुर, रामगढ़ के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखंड, राँची के पत्रांक- 131/ स्था०, दिनांक 15.03.2016 के माध्यम से आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया, जिसमें इनके विरुद्ध बिना अनुमति प्राप्त किए कार्यालय एवं मुख्यालय से अनुपस्थित रहने, स्पष्टीकरण/पृच्छा का जवाब समर्पित नहीं करने, वरीय पदाधिकारी के आदेश की अवहेलना, सरकारी सेवक आचार नियमावली के नियम- 3(1) एवं कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखंड के पत्रांक- 822, दिनांक 30.01.2015 का उल्लंघन करने संबंधी आरोप प्रतिवेदित किया गया है ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-5551, दिनांक 28.06.2016 द्वारा श्री तिर्की से स्पष्टीकरण की माँग की गयी। उक्त के आलोक में श्री तिर्की द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण में निम्न तथ्यों का उल्लेख किया गया-

1. दिनांक 13.09.2014 को होने वाली साप्ताहिक बैठक में चितरपुर से जिला मुख्यालय आने के क्रम में ही इनकी तबियत खराब हो गई, जिस कारण यह बैठक स्थल तक पहुंचे परंतु ससमय नहीं पहुंच सके। दिनांक 31.12.2014 को तबियत खराब रहने के कारण उपायुक्त महोदय को छुट्टी की प्रत्याशा में आवेदन देकर अवकाश में चले गये। स्वास्थ्य लाभ के बाद दिनांक 26.02.15 को जिला मुख्यालय में योगदान दिया, परंतु उपायुक्त के आदेश से इन्हें जिला ग्रामीण विकास अधिकरण में प्रतिनियुक्त कर दिया गया, परंतु कोई कार्य आवंटित नहीं किया गया। प्रखंड का प्रभार प्राप्त होने तक ये लगातार डीआरडीए कार्यालय में जाते रहे, इस दौरान इन्होंने 17.03.2015 को स्मार पत्रांक 111, दिनांक 7.03.15 के आलोक में अपना स्पष्टीकरण भी समर्पित किया। 17.03.15 से 01.04.15 तक अनुपस्थिति के संबंध में इनका कहना है कि डीआरडीए में योगदान देने के पश्चात इनके द्वारा 26.02.15 से 16.03.15 तक पंजी में अपनी उपस्थिति दर्ज की गई है। इसके पश्चात कहा गया कि ये कर्मचारियों की उपस्थिति पंजी है। अधिकारियों को इसमें हस्ताक्षर करने की कोई आवश्यकता नहीं, जिस कारण इन्होंने उपस्थिति पंजी में हस्ताक्षर करना छोड़ दिया। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग के आदेश उपरांत इनके द्वारा 26.02.2015 से 01.04.15 तक डीआरडीए कार्यालय में लगातार उपस्थित होकर कर्मचारियों के कक्ष में ही रहकर उनके विभिन्न कार्यों में सहयोग करते रहे। मार्च का महीना समाप्त होने के पश्चात ये दिन 01.04.15 को प्रखंड का प्रभार प्राप्त करने के लिए उपायुक्त महोदय से मिले, तत्पश्चात इन्हें प्रखंड का प्रभार सौंपा गया।

दिनांक 03.09.2015 को ये प्रखंड मुख्यालय में थे, एवं इस दिन ये चुनाव, मनरेगा, इंदिरा आवास से संबंधित आदि कार्यों हेतु क्षेत्र भ्रमण में थे।

दिनांक 19.10.15 की अनुपस्थिति के संदर्भ में इनका कहना है कि पंचायत चुनाव की तैयारी हेतु मुख्यालय में रहकर सभी रिपोर्ट का संकलन कर जिला मुख्यालय पहुंचा पर कुछ विलंब से। पर्यवेक्षीय पदाधिकारी की कमी की वजह से उन्हें एक से अधिक प्रखंडों का प्रभार सौंपा जाता है। कर्मियों की कमी की वजह से रिपोर्ट का संकलन समय नहीं हो पाता है विलंब से पहुंचने के पश्चात ही उपायुक्त महोदय के कार्यालय कक्ष में उनसे मिले। मिलने के पश्चात शाम के 6:00 बजे उपायुक्त के गोपनीय कार्यालय में बुलाया गया वहाँ ये ससमय उपस्थित हुए और इनके प्रखंड की सभी चुनावी कार्यों की समीक्षा की गई।

दिनांक 21.11.15 के संदर्भ में कहना है कि मतदानकर्मियों के लिए सामग्री और पैसा का वितरण इनकी उपस्थिति में ही प्रखंड नाजिर एवं प्रखंड कर्मियों के सहयोग से की गयी है। इनकी अनुपस्थिति पर यह कार्य संपन्न नहीं हो सकता था। चुनाव के दौरान इन्होंने अपने सभी कर्तव्यों का निर्वहन निष्ठापूर्वक एवं सफलतापूर्वक किया है।

08.12.15 को मनरेगा की समीक्षा बैठक की सूचना इन्हें नहीं मिली ना ही उपस्थिति पंजी में यह तिथि दर्ज है उन्होंने स्वयं उपस्थिति पंजी का अवलोकन किया है। आरोप में कहा गया

है कि अधिसूचित कार्यालय चितरपुर प्रखंड में संपर्क स्थापित करने पर इनका मुख्यालय में नहीं रहने की सूचना प्राप्त हुई है। यह सूचना कौन संकलित करता है एवं इनके अधिसूचित कार्यालय के बीच किस कर्मचारी से संकलित करता है इसकी जानकारी उन्हें नहीं है। इन्हें प्रत्यक्ष सूचित किए जाने के बजाए अन्य से सूचनाओं का आदान प्रदान निः संदेह भ्रम की स्थिति उत्पन्न करता है।

दिनांक 24.12.16 को इन्हें फोन से यह जानकारी मिली कि 03.12.15 को मुख्यमंत्री महोदय का आगमन होना है। तब से ये तैयारी में जुट गए थे, इस दौरान इनकी तबीयत बिगड़ गई लेकिन ये छुट्टी के लिए आवेदन नहीं दे कर के 29.12.15 तक अपने कार्यालय का कार्य एवं मुख्यमंत्री के आगमन की तैयारी करते रहे। 29.12.15 की रात में इनकी तबियत अत्यंत ही बिगड़ गई एवं ये कोई भी कार्य करने में बिल्कुल असमर्थ हो गए क्योंकि इनके पित की थैली में पथरी होने के कारण असहनीय दर्द हो रहा था इसके अलावा इनका ब्लड शुगर एवं बिलिरुबिन का स्तर भी काफी बढ़ गया था। उनके परिवार के द्वारा इन्हें अस्पताल में भर्ती करा दिया गया और इस संदर्भ में उन्होंने छुट्टी के लिए आवेदन भी समर्पित किया।

2. इन्होंने निष्ठापूर्वक अपने वरीय पदाधिकारियों के आदेशों का पालन यथा शक्ति किया है। परंतु उनकी तबियत के बारबार बिगड़ जाने के कारण ही ये अपना शत प्रतिशत समर्पित नहीं कर सके। इसका इन्हें खेद है। मेडिकल रिपोर्ट इत्यादि के संकलन एवं कार्य की व्यस्तता के कारण इस स्पष्टीकरण देने में देर हुई है 03.09.15, 21.11.15, 08.12.15, 09.12.15 एवं 26.12.15 के संबंध में स्पष्टीकरण आरोप संख्या एक के स्पष्टीकरण में उल्लिखित है। 19.10.15 से संबंधित स्पष्टीकरण इन्होंने 20.10.15 को ही दे दिया था।

3. इन्होंने जो भी स्पष्टीकरण दिया है, वह सच्चे तथ्य एवं ईमानदारीपूर्वक दिया है। इन्होंने कोई भी विरोधाभासी स्पष्टीकरण नहीं दिया है। समय अंतराल के कारण कुछ वाक्यों और शब्दों में समानता नहीं होने की संभावना है।

श्री तिर्की के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण के समीक्षोपरांत इनके विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड प्रस्तावित किया गया है।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर विभागीय पत्रांक-4036, दिनांक 20.07.2023 द्वारा श्री तिर्की से द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। उक्त के अनुपालन में इनके पत्र दिनांक 03.09.2023 द्वारा अपना जवाब समर्पित किया गया।

इसी क्रम में, श्रीमती शालिनी जैन मुण्डू द्वारा सूचित किया गया है कि उनके पति विकास तिर्की का निधन दिनांक 24.11.2023 को हो गया है।

भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय (कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग), नई दिल्ली के पत्र दिनांक 20 अक्टूबर 1999 में निम्न प्रावधान है-

"The undersigned is directed to say that this Department has been receiving references seeking clarification whether disciplinary cases initiated against the Government servant under CCS (CCA) Rules, 1965, could be closed in the event of death of the charged officer during pendency of the proceedings. After careful consideration of all the aspects, it has been decided that where a Government servant dies during the pendency of the inquiry i.e. without charges being proved against him, imposition of any of the penalties prescribed under the CCS (CCA) Rules, 1965, would not be justifiable. Therefore, disciplinary proceedings should be closed immediately on the death of the alleged Government servant."

अतः, समीक्षोपरांत उपर्युक्त प्रावधान के आलोक में श्री विकास तिर्की, (प्रथम बैच, कोटि क्रमांक-54/20), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, चितरपुर रामगढ़, सम्प्रति- मृत के विरुद्ध इस प्रक्रियाधीन कार्यवाही के साथ-साथ अन्य सभी लम्बित कार्रवाई को समाप्त किया जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टू दोराईबुरु,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
